तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4079/2005/हनुमानगढ़** **ठानासिंह मृतक जरिये वारिसान बनाम नाजरसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री प्रदीप नेहरा, अभिभाषक प्रार्थीगण

श्री सुनील कड़वासरा, अभिभाषक अप्रार्थीगण

—

निर्णय

दिनांकः— 09.04.2026

यह निगरानी अंतर्गत धारा 230 सपठित राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा मिसल संख्या 49/2003 बउनवानी ठानासिंह बनाम नाजरसिंह में पारित आदेश दिनांक 24—06—2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी ठानासिंह ने एक दावा इस्तकरार हक एवं तकसीम खाता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि चक नंबर 34 एस.एस.डब्ल्यू. व 36 एस.एस.डब्ल्यू. में शामसिंह 81 बीघा के खाते में प्रार्थी के पिता बहाल सिंह एवं उसके भाईयों भागसिंह व पाला सिंह के नाम बहिस्सा बराबर 3/4 हिस्सा व मु0 बसन्त कौर बेवा इन्द्रसिंह व सुखवीर कौर पुत्री इन्द्रसिंह दोनों के नाम मिलाकर 1/4 स्सिा खातेदारी आराजी दर्ज कागजात है । भागसिंह ने अपनी आरजाी की वसीयत दिनांक 29.05.1972 को प्रार्थी के हक में कर दी और उसके फौत होने के पश्चात् वादी उसके हिस्सा की आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया है । भागसिंह के 1/4 हिस्सा की आराजी का भागसिंह के फौत होने के पश्चात् खातेदार काश्तकार हो गये और तभी से अन्य हिस्सेदारान के घरू बंटवारा करके 20 बीघा 5 बिस्वा आराजी पर काश्त करता चला आ रहे है और इसी अनुसार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 4079 / 2005 / हनुमानगढ़** **ठानासिंह मृतक जरिये वारिसान बनाम नाजरसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी बंटवारा कराने का अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार करते हुए कथन किया कि भागसिंह ने अपनी आराजी की पंजीकृत वसीयत दिनांक 15.03.1967 को मेरे हक में कर दी और उसका देहांत सन् 1970 में हुआ है । ऐसी सूरत में प्रार्थी के नाम दिनांक 29.05.1972 को वसीयत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रतिवादी प्रीतमसिंह ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि भागसिंह का देहांत सन् 1970 में हो गया और भागसिंह ने अपनी आराजी नागरसिंह के हक में वसीयत कर दी और नागरसिंह ने उपरोक्त आराजी का इकरारनामा दिनांक 04.05.1984 को प्रीतम सिंह के हक में कर दिया और जमीन पर बतौर खरीददार काबिज है । तत्पश्चात् दिनांक 23.01.1985 को बहालसिंह की लड़कियों ने इकबाली जवाबदावा पेश कर प्रार्थी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रीतमसिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 जा0दी0 पेश कर अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़ की अदालत से निर्णय होने तक मौजूदा वाद में कार्यवाही स्टे करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णेय दिनांक 02.08.2004 को आदेश दिये कि उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र की बहस, दावे की पत्रावली की बहस के समय सुनी जावेगी । तत्पश्चात् दिनांक 24.06.2005 को दावे की अंतिम बहस नियत की गई । उक्त दिनांक को लालीदेवी पुत्री राधेश्याम के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का प्रस्तुत हुआ । अधी0न्याया0 ने बहस सुनने के बाद दिनांक 24.06.2005 को आदेश पारित किया कि इकरारनामा की विशिष्ट अनुपालना के वाद का निर्णय नहीं हो जाता तब तक प्रार्थीया लालीदेवी पुत्री राधेश्याम को प्रार्थी बनाया जाना उचित नहीं है। आज की दिनांक तक प्रीतमसिंह के इकरारनमाा का निर्णय नहीं हुआ है । जब तक सिविल न्यायालय द्वारा प्रीतमसिंह के इकरारनामा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 4079 / 2005 / हनुमानगढ़** **ठानासिंह मृतक जरिये वारिसान बनाम नाजरसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का निर्णय नहीं हो जाता तब तक वाद की कार्यवाही की जाना उचित नहीं है, दावा दाखिल दफ्तर कर स्टे किया जाता है । अधी0न्याया0 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की है ।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण बहस सुनी गई ।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24.06.2005 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 का आक्षेपित आदेश निरस्त योग्य क्योंकि परीक्षण के समक्ष अप्रार्थी प्रीतमसिंह ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 जा0दी0 का दिनांक 20.03.2003 इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि रिविजन पीटिशन नंबर 474 / 2001 प्रीतमसिंह बनाम नाजरसिंह माननीय राज0उच्च न्यायालय, जोधपुर में कर रखी है जो जेरकार है और मौजूदा दावा में उसी आराजी का निर्णय होना है । इसलिये दावा में कार्यवाही स्थगित की जावे । इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थी ने दिनांक 10. 07.2003 को पेश किया कि अप्रार्थी प्रीतमसिंह ने मेरे खिलाफ कोई रिट पीटिशन पेश नहीं की है । जब प्रार्थी / वादी के खिलाफ इस प्रकरण में जिस आराजी बाबत् अनुतोष चाहा है, उस आराजी बाबत् कोई रिट पीटिशन पेश नहीं होने के कारण मौजूदा प्रकरण स्टे नहीं किया जा सकता है । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31. 10.2003 के द्वारा प्रार्थना पत्र को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि माननीय राज0उच्च न्यायालय, जोधपुर में उक्त वर्णित पीटिशन प्रीतमसिंह द्वारा नाजरसिंह के विरूद्ध दायर की है जिसमें वादी / प्रार्थी ठानासिंह पक्षकार ही नहीं है और धारा 10 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । इस आदेश के खिलाफ अप्रार्थी ने कोई निगरानी नहीं की और यह निर्णय अंतिम हो गया । इसके बाद प्रीतमसिंह ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.03.2004 को अंतर्गत धारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 4079 / 2005 / हनुमानगढ़** **ठानासिंह मृतक जरिये वारिसान बनाम नाजरसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	10 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि आराजी के संबंध में जो रिविजन माननीय उच्च न्यायालय में पेश की थी, उसे पुनः अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश हनुमानगढ़ को रिमाण्ड कर दी है, जो जैरकार है । इसलिये अदालत से निर्णय होने तक मौजूदा दावा में कार्यवाही स्थगित की जावे । इस प्रार्थना पत्र का प्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी प्रीतमसिंह ने प्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार की कोई रिविजन या पीटिशन या दावा पेश नहीं किया है । प्रार्थी इस प्रकरण में जिस आराजी बाबत् अनुतोष चाहा है, उस आराजी से प्रीतमसिंह अप्रार्थी का कोई संबंध नहीं है । इसलिये मौजूदा प्रकरण स्टे नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 जा0दी0 दावे की बहस तक पेन्डिग रखने का आदेश दिनांक 02.08.2024 को पारित किये । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 24.06.2005 के द्वारा प्रार्थी / वादी का वाद स्थगित कर दिया जो क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया आदेश है । अधी0न्याया0 ने जब अप्रार्थी प्रीतमसिंह का प्रार्थना पत्र दिनांक 31.10.2003 निरस्त कर दिया तो अप्रार्थी प्रीतमसिंह द्वारा प्रस्तुत दूसरा प्रार्थना पत्र धारा 10 जा0दी0 स्वीकार नहीं किया जा सकता था । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्य को नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे । विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि अधी0न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 24.06.2005 विधिसम्मत् है। विवादित भूमि के संबंध में अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित इकरारनामे बाबत् विशिष्ट अनुपालना का वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय के निर्णय तक राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायोचित है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत्	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 4079 / 2005 / हनुमानगढ़** **ठानासिंह मृतक जरिये वारिसान बनाम नाजरसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रूप से वाद की कार्यवाही को स्थगित किया है । अतः निगरानी खारिज की जावे । हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर, हनुमानगढ़ के समक्ष राजस्व वाद पेश किया । उक्त वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थी प्रीतमसिंह ने एक प्रार्थना पत्र धारा 10 जा0दी0 के तहत पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात के संबंध में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़ के न्यायालय में अप्रार्थी के विशिष्ट अनुपालना के वाद के निर्णय तक मौजूदा वाद की कार्यवाही स्थगित की जावे । उक्त प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.10.2003 को खारिज किया । इसके उपरांत अप्रार्थी द्वारा पुनः धारा 10 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधी0न्याया0 ने बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा 10 जा0दी0 पर बहस दावे की पत्रावली की बहस के समय सुने जाने के आदेश पारित किये । इसके बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा लालीदेवी पुत्री राधेश्याम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पर बहस सुनकर प्रार्थी / वादी के वाद की कार्यवाही स्थगित करने के आदेश दिनांक 24.06.2005 को पारित किये है जबकि उनके द्वारा पूर्व में ही दिनांक 02.08.2004 को प्रीतमसिंह के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 जा0दी0 पर वाद की बहस के समय ही बहस सुने जाने का आदेश पारित किया गया था । इसके अतिरिक्त प्रीतमसिंह द्वारा राजस्व न्यायालय के समक्ष इकरारनामे के आधार पर कोई राजस्व वाद पेश नहीं किया गया है एवं ना ही पेश किया जा सकता है । अप्रार्थी प्रीतमसिंह सिविल न्यायालय में विचाराधीन विशिष्ट अनुपालना के वाद के निर्णय उपरांत ही राजस्व न्यायालय में कोई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 4079 / 2005 / हनुमानगढ़** **ठानासिंह मृतक जरिये वारिसान बनाम नाजरसिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुतोष प्राप्त कर सकता है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर आक्षेपित निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य पायी जाती है । परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 24.06.2005 निरस्त किया जाता है । तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	